

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231208  
SG-DL-E-17112021-231208

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 250
No. 333]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943	[N. C. T. D. No. 250

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय- I) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

संख्या 2/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(110)/वित्त (व्यय- I)/2021-22/डीएस-I/306.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वित्त विभाग (व्यय-IV) की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में, मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथा :-

“(iii) भू-स्वामी- प्रमोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर-प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट के निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाय भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा की जानी है।”;

(ख). क्रम संख्या 25 में, -

(i) कॉलम (3) में, मद (i) के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(i) जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिंग की सेवाएं	2.5	-”

(ii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “और (i)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द, “(i) और (i)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2020-राज्य कर (दर), दिनांक 28 अगस्त, 2020, जिसे सं.फा. 3(34)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-VI/65, दिनांक 28 अगस्त, 2020, के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

## FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 16th November, 2021

**No. 02/2021- State Tax (Rate)**

**No. F. 3(110)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/306.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) in serial number 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) in column (3), in the conditions in column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely-

“(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilise the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project.”;

(b) in serial number 25,-

(i) after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely-

(3)	(4)	(5)
“(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts.	2.5	-”

(ii) in item (ii) in column (3), for the word, brackets, figures and letter “ and (ia)”, the brackets, figures, letter and word “,(ia) and (ib)” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.- I (Finance)

**Note :** The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 02/2020 - State Tax (Rate), dated the 28th August, 2020 vide No. F.3 (34)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/65 dated the 28th August, 2020.